पत्रांक :–3/यो.1–09/2026 (उ0शि0)(खण्ड–1) 181/वजह

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 28/10/2026

विषयः– **उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत स्वायत्त निकाय यथा– Jharkhand Employees Grievance Tribunal, Jharkhand State Level Fee Regulation Committee एवं Jharkhand State Coaching Centre Regulation Authority को Ranchi Smart City में JUPMI परिसर के Premium Suit Building के क्रमशः भू–तल, प्रथम तल एवं नौवी तल पर अवस्थित कार्यालय के फर्निसिंग कार्य हेतु रू0 5,74,81,800/– (पॉच करोड़ चौहत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः– **झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची का पत्रांक 2101(नि0) 27.07.26**

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों में शिक्षण को सुचारू रूप से संचालन हेतु झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 निर्गत किया गया है। उक्त अधिनियम के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी शिकायत अधिकरण की स्थापना की गयी है। साथ ही झारखण्ड कोचिंग केन्द्र (नियत्रंण एवं विनियमन) अधिनियम–2025 के द्वारा झारखण्ड राज्य कोचिंग विनियामक प्राधिकरण तथा झारखण्ड व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2025 के द्वारा राज्य स्तरीय शुल्क विनियमन समिति की स्थापना की गयी है। उक्त तीनों स्वायत्त निकायों के संचालन हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत Ranchi Smart City में JUPMI परिसर के Premium Suit Building में स्थान प्राप्त हुआ है। जिसका furnishing का कार्य कराया जाना है।

2. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पत्रांक 2101 (नि0) दिनांक 27.07.2026 के द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत स्वायत्त निकाय यथा– Jharkhand Employees Grievance Tribunal; Jharkhand State Level Fee Regulation Committee एवं Jharkhand State Coaching Centre Regulation Authority को Ranchi Smart City में JUPMI परिसर के Premium Suit Building के क्रमशः भू–तल, प्रथम तल एवं नौवी तल पर अवस्थित कार्यालय के फर्निसिंग कार्य हेतु रू0 5,74,81,800/– (पॉच करोड़ चौहत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ) रूपये मात्र के डी0 पी0 आर0 पर Estimate No. 51/T.A/H.E/ JSBCCL/2026-27, Page No. 361 dated 24.07.2026 से तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष –102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 300.00 करोड़ (तीन सौ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 500.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

4. वित्तीय वर्ष 2026–27 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत स्वायत्त निकाय यथा– Jharkhand Employees Grievance Tribunal; Jharkhand State Level Fee Regulation Committee एवं Jharkhand State Coaching Centre Regulation Authority को Ranchi Smart City के JUPMI परिसर में Premium Suit Building के क्रमशः भू–तल, प्रथम तल एवं नौवी तल पर अवस्थित कार्यालय के फर्निसिंग कार्य हेतु रू0 5,74,81,800/– (पॉच करोड़ चौहत्तर लाख एकासी हजार आठ सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

Sl.No.	Particular	Amount in Rs.
1	**Jharkhand Employees Grievance Tribunal (Ground Floor)**	
a	Civil work	34,72,517.00
b	Plumbing	4,74,057.00
c	Furniture	38,04,274.00
	Total	**77,50,848.00**
2	**State Level Fee Regulation Committee (First Floor)**	
a	Civil work	39,27,001.00
b	Plumbing	4,74,057.00
c	Furniture	34,31,452.00
d	Pantry Room	7,37,829.00
	Total	**85,70,339.00**
3	**Jharkhand State Coaching Centre Regulatory Authority (9th Floor)**	
a	Civil work	29,07,255.00
b	Plumbing	4,18,031.00
c	Furniture	31,20,404.00
	Total	**64,45,690.00**
4	**Electrical for Ground, First and 9th Floor**	
a	Electrical	41,94,590.00
b	Networking	56,75,091.00
c	Audio Visual in Confrence Hall of all Floor	1,29,18,830.00
	Total	**2,27,88,511.00**
	Total Cost	**4,55,55,388.00**
5	Add GST @ 18%	81,99,969.84
6	Total amount with GST	5,37,55,357.84
7	Labour cess @ 1%	5,37,553.57
8	Total JSBCCL Charge	31,88,877.16
	Grand Total :-	5,74,81,788.57
	Say Rs.	**5,74,81,800.00**

5. स्वीकृत राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्य शीर्ष–2202, उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–BP-उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, Sub Scheme head- 01-उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान, 78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान। वित्त कोड–21S220203796BP010678 (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या– 1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

7. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	–	–

8. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

10. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राँची द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी0 एल0 खाता–8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

11. उक्त विषयांकित कार्य को पूर्ण करने की अवधि कार्यानुमति की तिथि से 08 माह होगी तथा कार्य पूर्ण करने के पश्चात् एक माह के अंदर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

12. नौवी तल पर Jharkhand State Coaching Centre Regulation Authority का कार्यालय संचालित किया जाना है, किन्तु Office Space के कमी के कारण उक्त तल पर Meeting Hall नहीं है। अतः सम्यक विचारोपरान्त द्वितीय पर पर्याप्त Office Space को Utilize करते हुए एक अतिरिक्त Meeting Hall तैयार किया गया है, जिसका उपयोग Jharkhand State Coaching Centre Regulation Authority के कार्यालय द्वारा किया जायेगा। साथ ही Meeting Hall के साथ सलग्न Pantry का उपयोग दोनो कार्यालयों के द्वारा किया जायेगा।

13. झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची द्वारा योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं साथ ही निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा भी उक्त विषयांकित योजना के क्रियान्वयन का समय–समय पर समीक्षा करते हुए गहन अनुश्रवण किया जायेगा।

14. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

15. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय (मुख्य) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

16. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

27.10.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–09/2026 (उ0शि0)(खण्ड–1) 181/बजट/ रॉची, दिनांक– 28/10/2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.10.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–09/2026 (उ0शि0)(खण्ड–1) 181/बजट/ रॉची, दिनांक– 28/10/2026

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद, रॉची /कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/CEO, Ranchi Smart City Corporation Ltd., Ranchi/ अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.10.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

(राम सुचित कुमार)
प्रशाखा पदाधिकारी

(सुधीर कुमार)
अवर सचिव